

[2023] 1 एस सी आर 961 ए

ए.

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम

कॉन्स्ट सुनील कुमार

(2023 की सिविल अपील संख्या 219) 19 जनवरी, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

सेवा कानून-सेवा से बर्खास्तगी-यह आरोप कि प्रतिवादी ने कर्तव्य पर रहते हुए शराब का सेवन किया और वरिष्ठ अधिकारियों को धमकी दी-सी. आर. पी. एफ. ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए आदेश-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया-हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी को बहाल कर दिया-यह अभिनिर्धारित किया कि बर्खास्तगी असमान थी क्योंकि जब कदाचार किया गया था तो प्रतिवादी सक्रिय कर्तव्य पर नहीं था-अपील पर कहा गया:प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित किए गए आरोप और कदाचार वरिष्ठ के साथ दुर्व्यवहार करने और वरिष्ठ को गंभीर परिणाम की धमकी देने के थे, नशे के प्रभाव में हो सकते हैं-दुर्व्यवहार बहुत गंभीर प्रकृति का था-अनुशासनहीनता और अवज्ञा के आरोप और दुराचार साबित हुए-बर्खास्तगी का दंड गलत की गंभीरता के अनुरूप नहीं है-उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश ने दंड को खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी को बहाल कर दिया।

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

एफ.

1 को पकड़ें।शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने विभागीय जांच करने और सीआरपीएफ नियम, 1955 के नियम 27 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और आरोप और कदाचार साबित होने के बाद बर्खास्तगी का जुर्माना लगाया।सीआरपीएफ में सेवारत रहे प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप और कदाचार को संगीन और गंभीर कदाचार कहा जा सकता है।प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित किए गए आरोप और कदाचार वरिष्ठ के साथ दुर्व्यवहार करने और वरिष्ठ को गंभीर परिणाम की धमकी देने के हैं, जो नशे के प्रभाव में हो सकते हैं।उसने भी दुर्व्यवहार किया और दिया

जी.

एच.

सहकर्मियों को धमकी देना।प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कदाचार अवज्ञा भी है।वरिष्ठ/वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्यवहार और अवज्ञा को बहुत गंभीर दुर्यवहार कहा जा सकता है और सीआरपीएफ जैसे अनुशासित बल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह मानना उचित नहीं है कि सिद्ध आरोपों और कदाचार बर्खास्तगी के दंड को असंगत कहा जा सकता है।[पैरा 6] [966-G-H; 967-A-C]

बी.

2. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बर्खास्तगी के दंड को गलत की गंभीरता के अनुपात के विपरीत कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के साथ जो वजन किया जाता है वह यह है कि चूंकि प्रतिवादी को कर्तव्य पर नहीं होने पर नशे की स्थिति में पाया गया था और धारा 10 पर विचार करते हुए, उसे कम जघन्य अपराध किया हुआ माना जाता है।चाहे बल के किसी सदस्य ने सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 9 और 10 के अनुसार कोई जघन्य अपराध किया हो या कम जघन्य अपराध किया हो, इसका असर धारा 9 और 10 के तहत दी गई सजा पर पड़ेगा, लेकिन अनुशासनहीनता और/या अवज्ञा के कार्य के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच पर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।[पैरा 6.1] [967-सी-ई]

सी.

डी.

3. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि बर्खास्तगी की सजा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देते हुए आश्चर्यजनक रूप से असमाननीय कहा जा सकता है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अनुशासनहीनता और अवज्ञा के आरोपों और कदाचार के साबित होने पर, सीआरपीएफ एक अनुशासित बल होने के नाते, बर्खास्तगी के दंड का आदेश उचित था और इसे अनुचित और/या गलती की गंभीरता के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान नहीं कहा जा सकता है।इन परिस्थितियों में भी, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थी पर लगाए गए बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने और प्रत्यर्थी को बहाल करने का आदेश देकर में बहुत गंभीर गलती की है।[पैरा 6.3] [968-बी-डी]

ई.

एफ.

जी.

4. इस स्तर पर, यह देखने की आवश्यकता है कि यह अभिनिर्धारित करते हुए भी कि बर्खास्तगी की सजा/जुर्माना गलत की गंभीरता के अनुपात में नहीं है, इसके बाद उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कोई और सजा/जुर्माना नहीं लगाया जाता है, सिवाय मजदूरी से इनकार के।ए की स्थिर स्थिति के अनुसार

एच.

963

भारत और ओ. आर. एस. का संघ।कॉन्स्ट सुनील कुमार ए

कानून, यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां सजा किए गए कदाचार के लिए असमान पाई जाती है और यह साबित होता है कि मामला उचित सजा/जुर्माना लगाने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को प्रेषित किया जाना है जो अनुशासनात्मक प्राधिकरण का विशेषाधिकार है।इस आधार पर भी, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पोषणीय नहीं है। [पैरा 6.4] [968-ई-एफ]

बी.

भारत संघ बनाम आर. के. शर्मा; (2001) 9 एस. सी. सी. 592:

[2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 664; कमांडेंट, 22 वां

बटालियन, सीआरपीएफ बनाम सुरिंदर कुमार; (2011) 10 एससीसी

244 :[2011] 12 एस. सी. आर. 1189-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

सी.

[2011] 12 एससीआर 1189

पैरा 6.1, 2.2 को संदर्भित किया गया है

[2001] 3 पूरक।पैरा 6.2 में निर्दिष्ट एस. सी. आर. 664

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

डी.

1. विशेष अपील रिट नं. 303/2005 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित न्यायिक खंडपीठ द्वारा दिनांक 01.09.2017 को पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय ने इसमें द्वारा दी गई कथित अपील को स्वीकार किया है और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को रद्द कर दिया है और अपीलकर्ता (ओं) को बिना किसी पिछले वेतन के अनुमानित लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया है, जिससे व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी - भारत संघ व अन्य ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

ई.

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:-

2. 1 यह कि प्रत्यर्थी अनुशासित बल-सीआरपीएफ में सेवारत था। उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई और निम्नलिखित आरोपों का आरोपपत्र दिया गया था : --

एफ.

“एफ/118 सी. आर. पी. एफ. के उस नंबर 911120421 सी. टी./जी. डी. सुनील कुमार जाट ने सी. टी./जी. डी. के रूप में काम करते हुए सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में घोर कदाचार और आदेशों की अवज्ञा का कार्य किया, जिसमें उन्होंने श्री अजय मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर के अधीन रहते हुए दुर्व्यवहार किया। कॉमडेंट।(एडजुटेंट), डॉ. जे. एन. त्रिवेदी, एस. एम. ओ. और 94 बी. एन. के सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र फिर 118 बी. एन. के साथ संलग्न हुए। सी. आर. पी. एफ. ने सरकारी ड्यूटी के दौरान देशी शराब का सेवन किया और 26 तारीख को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े

जी.

एच.

अगस्त, 02 और इस प्रकार एक ऐसा कार्य किया जो बल के अच्छे आदेश और अनुशासन के लिए पूर्व-न्यायिक है।"

2. 2 विभागीय जांच की समाप्ति पर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) नियमावली, 1955 के नियम 27 के तहत आवश्यक सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 की धारा 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारी/सीआरपीएफ ने प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश पारित किया। बर्खास्तगी के आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई। कि उसके बाद, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका संख्या 2195 /2004 दायर की, जिसमें बर्खास्तगी के दंड आदेश को चुनौती दी गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने निर्णय और आदेश दिनांकित 07 .1 2005 द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। तब, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 303 /2005 को प्रस्तुत किया और आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पदच्युति के दंड के आदेश को अपास्त कर दिया है कि सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949, की धारा 9 और 10 पर विचार करते हुए और जब कदाचार किया गया था तब प्रत्यर्थी सक्रिय ड्यूटी पर नहीं था और इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए अपराधों को कम जघन्य अपराध कहा जा सकता है जिसके लिए बर्खास्तगी जैसे चरम दंड की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, गलती की गंभीरता को देखते हुए बर्खास्तगी के दंड के आदेश असंगत कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय ने अनुमानित लाभों के साथ प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपील का विषय है।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. सुश्री माधवी दीवान, विद्वान ए. एस. जी., भारत संघ और अन्य लोगों की ओर से पेश हुई-अपीलार्थी (ओं) ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने बर्खास्तगी के दंड के आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने में बहुत गंभीर त्रुटि की है।

एफ.

3. 1 सुश्री दीवान द्वारा यह प्रबलता से प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी को सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति विभागीय जांच की समाप्ति के बाद और प्रत्यर्थी-अपराधी के खिलाफ आरोप और कदाचार प्रमाणित होने के बाद दी गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी-अपराधी के खिलाफ साबित हुए आरोप और कदाचार बहुत गंभीर थे और अनुशासित बल-सीआरपीएफ में काम करने वाले सैनिक के लिए उपयुक्त नहीं थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नशे के प्रभाव में उसने वरिष्ठ के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, इस प्रकार उसने अवज्ञा का कार्य किया। यह प्रस्तुत किया जाता है ए

जी.

एच.

कि इसलिए, बर्खास्तगी के दंड का आदेश जो सी. आर. पी. एफ. नियम, 1955 के नियम 27 के तहत आवश्यक उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया गया था, को साबित किए गए आरोपों और कदाचार के लिए असमान नहीं कहा जा सकता है।

3. 2 आगे सुश्री दीवान, विद्वान एएसजी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि बर्खास्तगी का आदेश सीआरपीएफ अधिनियम, 1949, की धारा 11, के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराधी-प्रत्यर्थी पर अधिरोपित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि सीआरपीएफ अधिनियम की धारा 11, निलंबन या बर्खास्तगी के अलावा मामूली दंड लगाने के लिए प्राधिकारी को सक्षम बनाती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए सीआरपीएफ अधिनियम, 1949, की धारा 9 और 10 पर निर्भरता इस आधार पर रखी गई है कि प्रत्यर्थी-अपराधी ने जब कदाचार किया था तो वह सक्रिय कर्तव्य पर नहीं था और इसलिए, इसे कम जघन्य अपराध कहा जा सकता है और इसलिए, बर्खास्तगी के दंड का आदेश पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के जघन्य अपराध या कम जघन्य अपराध का विचार सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 की धारा 9 और 10 के तहत प्रदान किए गए कारावास के आदेश पर निर्भर करेगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बाद उपयुक्त मामले में धारा 11 के तहत बर्खास्तगी के दंड के अधिरोपण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिलायंस को संघ के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर रखा गया है

बी.

सी.

डी.

भारत बनाम राम करण; (2022) 1 एस. सी. सी. 373 (पैराग्राफ 16 से 21 और

ई.

30).

3. 3 आगे सुश्री दीवान, विद्वान सहायक सालिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि गुणागुण के आधार पर भी उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त करने में एक बहुत गंभीर त्रुटि की है कि अधिरोपित बर्खास्तगी की शास्ति प्रमाणित आरोपों और कदाचार के अनुपात से अधिक थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी एक अनुशासित बल-सीआरपीएफ में सेवारत था और उसने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसने वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर परिणामों की धमकी दी और प्रत्यर्थी ने अवज्ञा की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, के आदेशों की अवज्ञा का अवचार

एफ.

जी.

3.4 यह आगे विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि के मामले में

कमांडेंट, 22 वीं बटालियन, सीआरपीएफ बनाम सुरिंदर कुमार; (2011)

10 एस. सी. सी. 244, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में भी जब किसी सी. आर. पी. एफ. कर्मी को किसी ऐसे अपराध के लिए धारा 10 (एन) के तहत कारावास की सजा दी जाती है, जो कम जघन्य होने के बावजूद उसे न्यायालय से बर्खास्त किया जा सकता है।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

यदि उसका आचरण सी. आर. पी. एफ. की अच्छी व्यवस्था और अनुशासन के लिए प्रतिकूल पाया जाता है तो विभागीय जांच करने के बाद सेवा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालयों को इस आधार पर बर्खास्तगी की सजा में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए कि यह असमान था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सजा केवल असमान नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान होनी चाहिए और यह केवल एक चरम मामले में है, जहां इसके सामने विकृति या तर्कहीनता है कि अनुच्छेद 226 या 227 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

बी.

सी.

3.5. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रतिवादी-अपराधी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अभिषेक गुप्ता ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है। 4. 1 यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अपराध और अवचार प्रत्यर्थी द्वारा तब किया गया था जब वह सक्रिय ड्यूटी पर नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए, सीआरपीएफ अधिनियम, 1949 की धारा 10 के अनुसार, बल का कोई सदस्य जो ड्यूटी/कर्तव्य पर नहीं होने पर नशे की स्थिति में है, उसे कम जघन्य अपराध माना जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पूरी तरह से उचित है, यह देखते हुए कि कम जघन्य अपराध करने के लिए बर्खास्तगी के दंड को गलत की गंभीरता के लिए असमान कहा जा सकता है।

डी.

ई.

4. 2 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य को देखते हुए कि प्रत्यर्थी ने 11 वर्षों तक काम किया था, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाये और बर्खास्तगी की शास्ति से कम कोई अन्य सजा दी जाये। इसलिए, यह प्रार्थना की गयी है कि उनके पिछले 11 वर्षों की सेवा को देखते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।

एफ.

5 . हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना है।

जी.

6. आरंभ में, यह नोट किया जाना अपेक्षित है कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने विभागीय जांच करके, सी. आर. पी. एफ. नियमावली, 1955 के नियमावली 27 के अधीन अपेक्षित सम्यक प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् और आरोप और कदाचार प्रमाणित होने के पश्चात् पदच्युति का दंड अधिरोपित किया। ए के खिलाफ आरोप और कदाचार साबित होने के लिए अभिनिर्धारित

एच.

967

भारत और ओ. आर. एस. का संघ। कॉन्स्ट सुनील कुमार [एम. आर. शाह, जे.]

प्रतिवादी जो सी. आर. पी. एफ. में सेवारत था—एक अनुशासित बल को एक गंभीर और गंभीर कदाचार कहा जा सकता है। प्रत्यर्थी के खिलाफ साबित किए गए आरोप और कदाचार वरिष्ठ के साथ दुर्व्यवहार करने और वरिष्ठ को गंभीर परिणाम की धमकी देने के हैं, जो नशे के प्रभाव में हो सकते हैं। उन्होंने सहयोगियों से भी दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया कदाचार अवज्ञा भी है। वरिष्ठ/वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार और अवज्ञा को बहुत गंभीर दुर्व्यवहार कहा जा सकता है और सीआरपीएफ जैसे अनुशासित बल में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह मानना उचित नहीं है कि सिद्ध आरोपों और कदाचार बर्खास्तगी के दंड को असंगत कहा जा सकता है।

बी.

सी.

6. 1 यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पदच्युति की शास्ति को गलती की गंभीरता के अननुपातिक कहा जा सकता है, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचार किया है कि, क्योंकि प्रत्यर्थी को ड्यूटी पर न रहते हुए और धारा 10 पर विचार करते हुए नशे की स्थिति में पाया गया था, इसलिए उसे कम जघन्य अपराध माना गया है। चाहे बल के किसी सदस्य ने सी. आर. पी. एफ. अधिनियम, 1949 की धारा 9 और 10 के अनुसार कोई जघन्य अपराध किया हो या कम जघन्य अपराध किया हो, इसका असर धारा 9 और 10 के तहत दी गई सजा पर पड़ेगा, लेकिन अनुशासनहीनता और/या अवज्ञा के कार्य के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच पर इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। सुरेंद्र कुमार (उपर्युक्त) के मामले में, यह देखा गया है कि ऐसे मामले में भी जब किसी सीआरपीएफ कर्मी को किसी अपराध के लिए धारा 10 (एन) के तहत कारावास दिया गया था, जो हालांकि कम जघन्य है, उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है, यदि यह सीआरपीएफ की स्पष्ट व्यवस्था और अनुशासन के लिए प्रतिकूल पाया जाता है। 6. 2 अन्यथा भी, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने प्रमाणित आरोपों और अनुशासनहीनता और अवज्ञा के कदाचार और इस आधार पर वरिष्ठ को गंभीर परिणामों की धमकी देने पर पारित बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने में बड़ी गलती की है कि यह गलती की गंभीरता के अननुपातिक है। सुरेंद्र कुमार (उपरोक्त) के मामले में बर्खास्तगी की सजा में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा पहले के निर्णय पर विचार करने के बाद यह माना जाता है और माना जाता है

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत संघ बनाम आर. के. शर्मा के मामले में; (2001) 9 एस. सी. सी. 592

कि न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ए के साथ हस्तक्षेप करना

एच.

968

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बर्खास्तगी की सजा इस आधार पर कि यह असंगत थी, सजा केवल असंगत नहीं होनी चाहिए बल्कि आश्चर्यजनक रूप से असंगत होनी चाहिए। जैसा कि देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि केवल एक चरम मामले में, जहां इसके सामने विकृति या तर्कहीनता है, अनुच्छेद 226 या 227 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक समीक्षा हो सकती है।

बी.

6. 3 इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णय (निर्णयों) में अधिकथित विधि को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि पदच्युति का दंड पूर्ण रूप से अननुपातिक होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और अनुशासनहीनता और अवज्ञा के आरोपों और कदाचार के साबित होने पर, सीआरपीएफ एक अनुशासित बल होने के नाते, बर्खास्तगी के दंड का आदेश उचित था और इसे अनुचित और/या गलती की गंभीरता के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान नहीं कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में भी, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रत्यर्थी पर लगाए गए बर्खास्तगी के दंड के आदेश में हस्तक्षेप करने और प्रत्यर्थी को बहाल करने का आदेश देकर में बहुत गंभीर गलती की है।

सी.

डी.

6. 4 इस प्रक्रम पर, यह मत व्यक्त किया जाना अपेक्षित है कि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि पदच्युति दंड / शास्ति अपराध की गंभीरता के अनुपात से अधिक है, तत्पश्चात, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पिछले वेतन भत्तों से इंकार करने के सिवाय कोई और दंड/शास्ति अधिरोपित नहीं की है। निर्धारित विधि व्यवस्था के अनुसार, ऐसे मामले में भी जहां दंड किए गए कदाचार के अनुपात से अधिक पाया जाता है और प्रमाणित पाया जाता है, तो मामले को उचित दंड/शास्ति लगाने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए है जो अनुशासनिक प्राधिकारी का विशेषाधिकार है। इस आधार पर भी, उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पोषणीय नहीं है। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि दंड/सजा के आदेश को असमान नहीं कहा जा सकता है, इसलिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं है।

ई.

एफ.

7. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है। बर्खास्तगी और प्रत्यर्थी को बहाल करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द और निरस्त किया जाता है। स्व वहन कोई खर्च नहीं।

जी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)

एच.